

## निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर को वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सापेक्ष पालिका के वर्ष 2017-18 में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न निर्माण कार्यों के दो लिफाफा प्रणाली (प्रथम लिफाफा-तकनीकी एवं द्वितीय लिफाफा वित्तीय)के तहत शीलबन्द निविदायें उल्लिखित शर्तों के अधीन दिनांक-... 28.12.17 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा इसी तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता उपस्थित रह सकता है। निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक-27.12.17 को कार्यालय समय तक बेची जायेगी। निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्तें टेंडर फार्म के साथ संलग्न की गई है। साथ ही जनपद की वेबसाइट <http://chamoli.nic.in> में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

क्र	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखरु)	जमानत राशि	निविदा मूल्य + वेट	कार्यपूर्ण करने की अवधि	निविदा वैधता तिथि
	<b>स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)</b>					
1	वैतरणी में 10 सीटर शौचालय का निर्माण	9.80	40000.00	250+GST	3 माह	45 दिन
2	भीमतला में 10 सीटर शौचालय निर्माण	9.80	40000.00	250+GST	3 माह	45 दिन
3	शिव शक्तिनगर गोपेश्वर में 10 सीटर शौचालय निर्माण	9.80	40000.00	250+GST	3 माह	45 दिन
4	भेड़ी में 04 सीटर शौचालय निर्माण	3.92	20000.00	250+GST	2 माह	45 दिन
5	चमोली में स्नानघाट में 05 सीटर शौचालय निर्माण	4.90	25000.00	250+ GST	2 माह	45 दिन
	<b>राज्य वित्त</b>					
14	मुख्य बाजार गोपेश्वर में बहुमंजिला पार्किंग के समीप दुकानों का निर्माण	6.27	25000.00	250+ GST	3 माह	45 दिन

**निविदा की शर्तें :-** 1-निविदा उन्ही फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति को बेची जायेगी जो उल्लिखित कार्य की निविदा के लिए निर्धारित धरोहर धनराशि प्रस्तुत करेगा।

- 2- धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र /एफडी0आर0 जो वर्ष 2013-14 के बाद एवं वर्ष 2017-18 की हो जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर के नाम बन्धक हो वह निविदा के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- 3- बिना धरोहर धनराशि संलग्न किये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 5- समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार व्यापार कर, आयकर, रायल्टी एवं अन्य कर कटौतियों ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।
- 6- निविदा के साथ रू0- 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना आवश्यक होगा।
- 7- निविदायें दो भागों में जमा की जायेगी। एक बन्द लिफाफा तकनीकी निविदा ( Technical Bid ) एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा ( Financial Bid ) का होगा। पहले तकनीकी निविदा का लिफाफा खोला जायेगा एवं जिन कम्पनियों/ फर्मों/ व्यक्तियों की समस्त शर्त पूर्ण होगी, केवल उन्ही की वित्तीय निविदा द्वितीय चरण में खोली जायेगी। निविदापत्र में किसी प्रकार की कटिंग/ ओवरराईटिंग मान्य नहीं होगी। निविदा की दर में सभी कर/ टैक्स सम्मिलित होंगे। लिफाफों पर तकनीकी/वित्तीय निविदा ठेकेदार का नाम व कार्य का नाम लिखा होना अनिवार्य है।
- 8- निविदादाता को निविदा शर्त को पढ़ एवं समझकर निविदापत्र भरना होगा। यदि इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर में जानकारी प्राप्त की जा सकती
- 9- निविदा से सम्बन्धित समस्त अधिकार, अध्यक्ष, निविदा समिति /क्रय समिति नगर पालिका परिषद, चमोली-गोपेश्वर में निहित होंगे। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष निविदा समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदा समिति के मार्गें जाने पर निविदा दाता को मूल प्रमाण पत्र तत्समय ही प्रस्तुत करने होंगे।
- 10- निविदा के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन करना निषेध है। ऐसा होने पर सम्बन्धित निविदादाता को निविदायें अस्वीकृत की जा सकती हैं।
- 11- निविदा स्वीकृति की सूचना के एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुबन्ध गठित करना होगा। ऐसा न होने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 12- निविदा स्वीकृत होने उपरान्त निविदादाता को 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि पर अनुबन्ध करना होगा तथा अनुबन्धपत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता व सुसंगत आवश्यक नियंत्रण आदेशों के अधीन वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 13- कार्य आदेश होने पर यदि निविदादाता निर्धारित समय में कार्य करने में अक्षम रहता है अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। और इसके कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
- 14- कार्य के सम्पादन में यदि किसी प्रकार की क्षति विभाग को होती है तो इसका हर्जाना सम्बन्धित ठेकेदार को देना होगा।
- 15- ठेके के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई भी सामग्री तथा मजदूर परिवहन तथा स्टोर व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं किया जायेगा। यह सम्पूर्ण व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

अधिशासी अधिकारी


अध्यक्ष

कार्यालय नगर पालिका परिषद चमोली-गोपेश्वर।

सं०- 1061 /सा०शौ० /2017-18/दिनांक- 13 सितंबर 2017

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को प्रेषित:-

1. संवाददाता राष्ट्रीय सहारा गोपेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासकीय दर पर उपरोक्त निविदा न्यूनतम स्पेश पर सूचना को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. संवाददाता जन आगाज दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासकीय दर पर उपरोक्त निविदा न्यूनतम स्पेश पर सूचना को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी चमोली।
4. कोषाधिकारी कोषागार चमोली।
5. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोपेश्वर।
6. एन०आई०सी० चमोली को जनपद की वेबसाइट <http://chamoli.nic.in> में नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत विस्तृत प्रचार-प्रसार के लिए अपलोड किये जाने हेतु।
7. कार्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
चमोली-गोपेश्वर।